न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या : 23/2017

तारीख दायरा : 20.07.2017

उनवान

1.बाबूलाल

2.औमप्रकाश

3.पुरूषोत्तम

4.मुकेश

5.गोपाल

6.छगन

7.सतीश

8.योगेन्द्र पुत्रान रामनिवास।

9.मीरादेवी पुत्री रामनिवास जातियान ब्राहम्मण निवासीयान झझांरपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

.....प्रार्थीगण।

बनाम

1.बिशम्बर दयाल पुत्र ज्वाला जाति नाई निवासी झंझारपुर तहसील मुण्डावर।

2.राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसील मुण्डावर। ....अप्रार्थीगण।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट)

उपस्थिति :–1. श्री रणवीर सिंह, अधिवक्ता .....प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री महेश यादव, अधिवक्ता .....अप्रार्थी की ओर से।

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय :: दिनांकः 11.7.19

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी ख.न. 1141 व 1137 ,1134,1135,1139 वाके ग्राम शामदा में स्थित है जिसके लिए रास्ता आराजी ख.न. 1101/2 रकबा 0.46 हैक्टेयर में से दिये जाने का विवाद है। आराजी ख.न. 1141 में प्रार्थी स. 1 ला.6 सह खातेदार एवं ख.न. 1137 तन्हा प्रार्थी स.1 ला.6 व ख.न. 1134,1135,1139 प्रार्थी सख्या 7 ला.9 के नाम है। प्रार्थी स. 1 ला.6 के पिता फौत हो चुके है विरासत इतंकाल दर्ज नहीं हुआ है। ख.न. 1101 का प्रार्थी एवं उसके अन्य सह खातेदारान् के मध्य विभाजन के बाद ख.न. 1101/2 रकबा 0.46 हैक्टेयर अप्रार्थी सख्या 1 के हिस्से में आया हुआ है जो प्रार्थी के

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

हिस्से ख.न. 1141 से लगता है एवं ख.न. 1101/2 से लगता हुआ आम रास्ता है। उक्त आम रास्ता से अप्रार्थी सख्या 01 की आराजी ख.न. 1101/2 की पूर्वी मेड के साथ–साथ करीब 13 फुट चौडा रास्ता विधिक प्रकिया के अनुसार दिलाये जाने का अनुतोष चाहा गया क्योंकि प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में काश्त कार्य व देखभाल के लिये जाने का कोई रास्ता स्थायी या वैकल्पिक नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थी स. 1 के ख.न. 1101/2 मे से खाली पडत में से जाकर काश्त कार्य करते है लेकिन फसल बुवाई के बाद रास्ता नहीं रहता है। प्रार्थीगण के पास इस रास्ता के सिवाय अन्य कोई नजदीकी रास्ता नहीं है । अप्रार्थी स.1 के ख.न. 1101/2 के दक्षिण के लगता हुआ आम रास्ता है, प्रार्थीगण के सबसे नजदीक लगता है। प्रार्थी स. 7 ला.9 ने अपने ख.न. 1139 में रिहायसी मकान बना रखें है व ख.न. 1141 में प्रार्थीगण स. 1 ला.6 के रिहायसी मकानात है। प्रार्थीगण को रास्ते की अति–आवश्यकता है। अप्रार्थीगण से कई बार कहा गया परन्तु इन्कार हो गये है। प्रार्थीगण की ख.न. 1141,1137,1134,1139 में कृषि कार्य हेतु व निर्मित मकानात तक पहुंचने के लिए मिन प्रार्थीगण को आराजी ख.न. 1101/2 वाके ग्राम शामदा में कृषि कार्य हेतु व मकानात तक पहुंचने के लिए प्रार्थीगण को आराजी ख.न. 1101/2 में से 13 फुट चौडा व करीब 260 फुट लम्बाई में रास्ता दिलावाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। आराजी ख.न. 1101/2 रकबा 0.46 है0 मिन अप्रार्थी सख्या 01 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो प्रार्थीगण की आराजी के साथ लगती हुई नहीं है। इसलिए रास्ता बाबत कोई विवाद नहीं है। अप्रार्थी स. 1 लधु कृषक है जिसके पास उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी नहीं है तथा प्रार्थीगण मिन अप्रार्थी से रंजिश रखते है। इसलिए बेजातौर पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण की आराजी के साथ लगती हुई आराजी ख.न.1101/3 व आम रास्ता के साथ लगती हुई आराजी ख.न. 1091 व 1142,1143,1144 है जो प्रार्थीगण की आराजी 1141 के साथ लगती हुई है। प्रार्थी स0 1 ला.6 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा प्रार्थी स0 7 ला.9 की आराजी से मिन अप्रार्थी स.1 की आराजी तक लम्बाई अधिक है। प्रार्थीगण ने मिन अप्रार्थी स.1 की उक्त आराजी में कभी आवागमन ही नहीं किया है। प्रार्थीगण स. 7 ला.9 ने अपने कोई रिहायशी मकानात ख.न. 1139 में नहीं बनाये है तथा ना ही ख.न. 1141 में प्रार्थी स. 1ला.6 ने कोई मकानात बनाये है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क है कि आराजी ख.न. 1141,1137,1134,1135 के लगता हुआ ख.न. 1101/2 है जिसमें से ऑन कोस्ट प्रार्थीगण ने रास्ता चाहा है। प्रार्थीगण को रास्ते की अति–आवश्यकता है। ख.न. 1101/2 के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा मकानात निर्माण का उल्लेख अपने जवाब में कहीं भी नहीं किया है। न्यायालय से मौका रिर्पोट के आदेश होने के बाद इन्होने रातो–रात मकान निर्माण कर लिया तथा गमले वगैरा लाकर रख दिये। यदि प्रार्थीगण को रास्ता नहीं मिला तो 251–ए की मंशा ही विफल हो जायेगी।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थीगण क्लीन हैण्ड से नहीं आये है। प्रार्थीगण द्वारा 1101/3 में से रास्ते की मांग की जाती तो उचित रहता। प्रार्थी ने मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ती नहीं की है। बाद में निर्माण कार्य किया गया है ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है वह निकटतम रास्ते की है। ख.न. 1101/2 में रास्ता कभी नहीं रहा है। प्रार्थीगण के पास ख.न.1101/2 के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध है।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी ख.न.1141,1137,1134,1135 में आवागमन हेतु अप्रार्थी स.1 की खातेदारी की आराजी ख.न. 1101/2 में से 13 फुट रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थी का कथन है कि प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के पास अन्य निकटतम दूरी का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। नजरी नक्शा के अनुसार आराजी ख.न. 1101/2 का उत्तरी सिरा व ख.न. 1141 का दक्षिणी सिरा आपस में मिले हुये है परन्तु ख.न.1101/2 के उत्तरी सिरे पर मकान निर्माण किया हुआ है तथा रास्ते के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मकान का निर्माण पूर्व से हो रहा है या प्रकरण के विचारण के दौरान् हुआ है। बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि मकान निर्माण के बाद ख.न.1101/2 में रास्ते के लिए भूमि उपलब्ध है या नहीं ? नजरी नक्शा व मौका रिपोर्ट के अनुसार ख.न.1101/2 में रास्ते के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है क्योंकि ख.न. 1101/2 के उत्तरी सिरे पर अप्रार्थी का मकान बना हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को ख.न.1101/2 में से रास्ता दिलाया जाना तर्कसंगत नहीं है। धारा 251–ए के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की दूरी निकटतम होनी चाहिए तथा कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर ही रास्ते के बिन्दु पर विचार किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है या नहीं तथा प्रस्तावित मार्ग सबसे निकटतम दूरी का है इन तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं किया गया है। मौका रिपोर्ट में ख.न.1101/3 में से रास्ता दिलाया जाना उचित बताया है जो स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि मौका रिपोर्ट में केवल मौके की वस्तुस्थिति का उल्लेख किया जाना होता है। मौका रिपोर्ट में सुझाव का उल्लेख किया जाना विधिक रूप से सही नहीं है। इसके अतिरिक्त यह विवेचनीय है कि प्रार्थीगण द्वारा ख.न.1101/3 में से रास्ते का अनुतोष भी नहीं चाहा गया है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण धारा 251–ए में वर्णित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में असफल रहे है लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर.टी.एक्ट बाबत आराजी ख.न.1141, 1137,1134,1135,1139 में आवागमन हेतु आराजी ख.न.1101/2 वाके ग्राम शामदा में से 13 फुट रास्ता चाहने बाबत खारिज किया जाता है।

(योगेश कुमार डागुर)
11.7.19
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

निर्णय आज दिनांक 11.7.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
11.7.19
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner